

प्रेषक

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,  
लखनऊ।

सेवा में

प्रबन्धक,  
एमिटी इंटरनेशनल स्कूल,  
सेक्टर-8 बी, वृन्दावन योजना, लखनऊ।

पत्रांक / बेसिक - एस०टी० / 1215 / 2016-17, दिनांक 31-5-16

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) तथा नियमावली 2011 के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र

महोदय,

आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति/मण्डलीय मान्यता समिति/लखनऊ के निर्देश से, मैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/लखनऊ आपके विद्यालय को शिक्षा सत्र 2016-17 से तीन वर्ष की अवधि के लिए प्री प्राइमरी से जूँड़ा०स्कूल (नर्सरी से कक्षा-8) स्तर तक (अंग्रेजी माध्यम) के लिए अनतिम मान्यता प्रदान की संस्थाना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन हैं:-

1-मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संवधन करने के लिए कोई वाध्यता दिवक्षित नहीं है।

2-विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009(उपांचं 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010(उपांचं 2) तथा नियमावली 2011 के उपबंधों का पालन करेगा।

3-विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पडोस के कमजोर वर्गी और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

4-पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियों प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5-सासाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या सरकार को किसी स्कॉलरिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

6-विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का समूत्र न होने के कारण प्रवेश देने से इकार नहीं करेगा और वह अधिनियम कीधारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:-

(1) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

(2) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।

(3) शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(4) शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकारित किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।

(5) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तिग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना,

(6) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकारित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, वैच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

(7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्त्तव्यों का पालन करता है और,

(8) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन किया कलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7-विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकारित पाठ्यचार्यों के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

*Swami*

8—विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा।

विद्यालय परिसर का क्षेत्र— 11703 वर्गमी०

कुल निर्मित क्षेत्रफल— 7696 वर्गमी०

कीड़ास्थल का क्षेत्रफल— पर्याप्त

कक्षाओं की संख्या— 10

प्राध्यापक—सह कार्यालय—सह भंडार के लिए कक्ष— 04

बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक शीघ्रालय—पृथक—पृथक है।

पेयजल सुविधा—उपलब्ध है।

मिड ट्रैम एवं बाल विद्यालय के लिए इसोई—उपलब्ध है।

बाल शिल्प पर्याप्त है।

अध्यापन पठन सामग्री/कीड़ा खेलकूद उपरकरण/पुस्तकालय की उपलब्धता—उपलब्ध है।

9—विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर—मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।

10—विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा—स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11—विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860(1860 का 21)के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12—स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

13—विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड एकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए।

प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14—आपके विद्यालय को आवटित मान्यता कोड संख्याक-220 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।

15—विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो समय समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हों और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कानियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।

16—सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

17—शासनादेश दिनांक: 08-05-2013 में दिए गए समस्त आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

□

भवदीय,

(प्रवीण मणि त्रिपाठी)  
जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी,  
लखनऊ

पृ० सं० एवं तिथि—उक्तवत्।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

1—जिलाधिकारी, लखनऊ।

2—मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।

3—सचिव, उ०प्र० वेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।

4—मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(वेसिक)षष्ठ नण्डल, लखनऊ।

5—जिला समाज/जिला अत्यस्तराक/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, लखनऊ।

6—सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, लखनऊ।

7—कार्यालय गार्ड काइल।

जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी,  
लखनऊ